का॰ ज्ञा॰ सं॰ II/20015/7/96-रा॰भा॰ (नीति-2), दिनांक 2.6.1998

विषय:— हिन्दी सलाहकार समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों को हवाई जहाज से आने जाने का मार्ग व्यय प्रदान करवाना।

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, नई दिल्ली ने यह सूचित किया था कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्य, खासकर 60 साल से ज्यादा उम्र वाले सदस्य, जो दूर-दराज क्षेत्रों से दिल्ली आते हैं उन्हें रेल में यात्रा करने से कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और ऐसी कठिनाईयों से बचने के लिए उन्हें हवाई जहाज की यात्रा करनी पड़ती है। इस स्थिति में संस्था संघ ने यह अनुरोध किया है कि ऐसे सभी गैर-सरकारी सदस्यों को बैठकों में भाग लेने के लिए हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान की जाए।

2. इस संबंध में यह कहना है कि वित्त मंत्रालय के दिनांक 8 अक्टूबर, 1982 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 19024/7/22-ई॰ iv में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को अधिकार दिया गया है कि वे निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को हवाई जहाज की सुविधा दे सकते हैं:—

(i) सेवा-निवृत सरकारी कर्मचारी, जो सेवाकाल में विमान यात्रा के पात्र थे,

(ii) विश्वविद्यालयों, संस्थाओं व स्वायतशासी संस्थाओं के हवाई यात्रा के पात्र कर्मचारी,

(iii) अपने विषय के विशेषज्ञ गैर-सरकारी व्यक्ति।

हिंदी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य उपर्युक्त उप-पैरा (iii) की श्रेणी में आते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ऐसे गैर-सरकारी सदस्यों को संबंधित सचिव की आज्ञा से हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान किए जाने के बारे में प्रावधान पहले से ही मौजूद है। सभी मंत्रालय/विभाग इसी प्रावधान के अनुसार अपने सचिव की अनुमति से विशेषज्ञ गैर-सरकारी सदस्यों को हवाई यात्रा की सुविधा गुण-दोष के आधार पर तथा उपरोक्त आदेश में निहित पूर्व शर्तों को ध्यान में रख, प्रदान कर सकते है।